न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः—10 / 2019

निर्णय दिनांकः— 21.08.2019

उनवान

जगदीश गुर्जर पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी हरभांवता हाल राधागोविन्दपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं. 520 दिनांक 05.10.2018 ग्राम पंचायत लुहारा तहसील निवाई

उपस्थितः—श्री कजोडमल गुर्जर वकील अपीलार्थी

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि ग्रा.पं. लुहारा द्वारा नामान्तकरण सं. 520 दिनांक 05.10.2018 को तस्दीक किया गया है। अपीलार्थी को आराजी ख.नं. 274 रकबा 01—04 बीघा भूमि हिस्सा 10 / 24 अर्थात् 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम शाहजहांपुर तहसील निवाई की भूमि जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 31.7.18 अपने सगे पुत्र जगदीश पुत्र रामकरण से प्राप्त हुई थी। जिसका नामान्तकरण ग्रा.पं. द्वारा तस्दीक किया गया। लिपिकीय त्रुटि के कारण उक्त भूमि में अपीलार्थी का हिस्सा 10 / 24 के स्थान पर 5 / 24 गलत रूप से अंकित हो गया। ग्रा.पं. द्वारा उक्त विवादग्रस्त नामान्तकरण को तस्दीक करते समय बिना किसी सम्यक जांच पडताल के उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो विधि विरूद्व है। अतः अपील मय प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व मय शपथ पत्र प्रस्तुतकर श्रीमान् जी से निवेदन है कि ग्रा.पं. लुहारा द्वारा नामान्तकरण सं. 520 दिनांक 05.10. 2018 को विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने एवं नामान्तकरण की जांच सम्यक रूप से किये जाने हेतु नामान्तरण तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किये जाने के आदेश फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्टस की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 2 बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

वकील अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस में बताया कि ग्रा.पं. लुहारा द्वारा नामान्तकरण सं. 520 दिनांक 05.10.2018 को तस्दीक किया गया है। अपीलार्थी को आराजी ख.नं. 274 रकबा 01–04 बीघा भूमि हिस्सा 10/24 अर्थात् 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम शाहजहांपुर तहसील निवाई की भूमि जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 31.7.18 अपने सगे पुत्र जगदीश पुत्र रामकरण से प्राप्त हुई थी। जिसका नामान्तकरण ग्रा.पं. द्वारा तस्दीक किया गया। लिपिकीय त्रुटि के कारण उक्त भूमि में अपीलार्थी का हिस्सा 10/24 के स्थान पर 5/24 गलत रूप से अंकित हो गया। ग्रा.पं. द्वारा उक्त विवादग्रस्त नामान्तकरण को तस्दीक करते समय बिना किसी सम्यक जांच पडताल के उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निवेदन है कि ग्रा.पं. लुहारा द्वारा नामान्तकरण सं. 520 दिनांक 05.10.2018 को विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने एवं नामान्तकरण की जांच सम्यक रूप से किये जाने हेतु नामान्तरण तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि लिपिकीय त्रुटिवश नामान्तरण सं. नामान्तकरण सं. 520 दिनांक 05.10.2018 ग्राम शाहजहांपुर में अपीलार्थी का हिस्सा 10/24 के स्थान पर 5/24 गलत रूप से अंकित हो गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। नामांतकरण सं. 520 दिनांक 05.10.2018 ग्राम शाहजहांपुर को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किया जाता है कि आराजी ख.नं. 274 रकबा 01–04 बीघा वाके ग्राम शाहजहांपुर तहसील निवाई में किये गये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 31.7.18 में वर्णित हिस्से की जांच कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

21/8

जे.पी. बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
निवाई

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner